



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, 2811553, 2811554,

Mobile No. 9406800317, Email - sanchi13a@gmail.com

!! डेयरी गेट पार्लर संचालनकर्ता की नियुक्ति हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई-निविदा सूचना !!

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ के मुख्य संयंत्र स्थित डेयरी गेट पार्लर के संचालन हेतु आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति/पार्टियों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य अवधि अनुबंध दिनांक से तीन वर्ष के लिए प्रभावशील होगी (जिसे आपसी सहमति से एवं कार्य संतोषप्रद होने पर एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।) निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण का अवलोकन एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा, अतः निविदाकर्ता निरंतर उपरोक्त वेबसाइट्स का अवलोकन करें। किसी भी एक अथवा समस्त निविदाओं को सकारण स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंदौर दुग्ध के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर में
स्थित डेयरी गेट पार्सर के संचालन हेतु
द्वितीय अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र

ॐ निविदा आवेदन पत्र ॐ

वर्ष 2022 - 2023



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2802554, Fax No. 0731-28011559

Email - sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

डेयरी गेट पार्लर संचालनकर्ता नियुक्ति हेतु द्वितीय अल्पकालीन ई-निविदा प्रपत्र १०

- | | | |
|------|---|--|
| (1) | ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय। | 28.07.2022 दोप. 12:00 बजे तक। |
| (2) | ई-निविदा (ऑन लाईन) जमा करने की अंतिम दिनांक व समय | 28.07.2022 दोप. 12:00 बजे तक। |
| (3) | निविदा खोलने की तिथि एवं समय। | 29.07.2022 दोप. 2:00 बजे तक। |
| (4) | निविदा के साथ जमा की जाने वाली ई.एम.डी. राशि। | रु. 50,000/-
(अक्षरी रु. पचास हजार मात्र) |
| (5) | डेयरी गेट पार्लर संचालनकर्ता हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप। | प्रपत्र 01 |
| (6) | डेयरी गेट पार्लर संचालनकर्ता की सामान्य तकनीकी शर्तें। | प्रपत्र 02 |
| (7) | डेयरी गेट मिल्क पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र (निविदाकर्ता का परिचय) | प्रपत्र 03 |
| (8) | रु. 100/- के नॉन ज्यूडिसियल नोटरीज्ड स्टॉम्प पत्र | प्रपत्र 04 |
| (9) | अनापत्ति प्रमाण पत्र | प्रपत्र 05 |
| (10) | वित्तीय बीड (केवल ऑनलाईन) | प्रपत्र 06 |
| (11) | अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप | प्रपत्र 07 |

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

महोदय,

इन्दौर दुग्ध संघ इन्दौर स्थित फैंकटी गेट पार्लर के संचालन कार्य हेतु दिनांक ----- को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

—=0 तकनीकी अर्हतायें 0=—

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	वर्तमान में दुग्ध संघ में कार्यरत दूध एवं दुग्ध उत्पाद वितरक द्वारा भाग लिया जाता है तो दुग्ध संघ के दुग्ध, घी एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट से एन.ओ.सी. प्राप्त करना होगी तथा दुग्ध संघ से भी एन.ओ.सी. प्राप्त कर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. हेतु प्रपत्र क्र. 05 संलग्न है।	
7.	निविदाकर्ता के पास खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस का होना अनिवार्य होगा अथवा इस हेतु किए गए ऑनलाईन आवेदन की प्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें।	
8.	विगत तीन वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का इन्कम टेक्स रिटर्न I.T.R. संलग्न करें।	
9.	वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 तीनों वर्षों का संयुक्त रूप से कुल रू. 05 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर हेतु वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का सी.ए. द्वारा प्रमाणित जिसमें UDIN नं. एवं व्यवसाय का प्रकार सहित प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।	
10.	आवेदनकर्ता के विरुद्ध वर्तमान में किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो एवं किसी भी पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज न हो अथवा कोई प्रकरण विचाराधीन हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से प्रमाणित कर संलग्न करें। संलग्न प्रपत्र क्र. 04	
10.1.	एमपीसीडीएफ के भंडार-क्रय नियम की उपकण्डिका क्र. 8.04 के अनुसार "यदि किसी भी निविदाकर्ता को निविदा में भाग लेने के पूर्व किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची में डाला गया हो तो वह निविदा हेतु अपात्र रहेगा। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय उसकी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।" तदाशय का रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर तकनीकी विवरण के साथ संलग्न करें। संलग्न प्रपत्र क्र. 04 अवलोकन हेतु।	
11.	जी.एस.टी. नंबर की प्रति संलग्न करें।	
12.	रू. 50000/- की ऑनलाईन जमा की गई राशि की प्रति संलग्न करें।	

हस्ताक्षर - - - - -

नाम - - - - -

पता - - - - -

- - - - -

दूरभाष/मोबाईल नम्बर - - - - -

पार्लर संचालन की नियम एवं शर्तें

प्रपत्र 02

1. निविदा के साथ निविदाकर्ता को अपना स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को निविदा में ई.एम.डी. राशि के भुगतान से छूट रहेगी।
3. ऑनलाईन राशि रु. रूपये 50,000 (अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र) ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. राशि जमा न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे निविदा स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
 - (3.1) दुग्ध संघ में प्रतिभूति राशि पेटे रूपये 10.00 लाख (अक्षरी राशि रु. दस लाख मात्र) नकद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते में जमा करना होगा। दूध एवं दुग्ध पदार्थ, बटर, आईसक्रीम एवं अन्य उत्पाद विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि में वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में किया जावेगा। प्रतिभूति राशि एक माह में दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
 - (3.2) आवंटन की दशा में सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ निर्धारित शर्तों का रु. 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध एक माह में निष्पादित करना अनिवार्य है। अनुबंध का प्रारूप अवलोकन हेतु प्रपत्र क्र. 07 पर संलग्न है। जो कि कार्य आवंटन के पश्चात सफल निविदाकर्ता को दुग्ध संघ के साथ निष्पादित करना होगा।
 - (3.3) शर्त क्रमांक (3.1) से (3.2) तक एक माह में अर्हताएँ पूरा न करने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इन्दौर के पास निहित होगा।
4. ऐसे सफल निविदाकर्ता जिन्होंने तकनीकी बिड में जी.एस.टी. एवं फूड रजिस्ट्रेशन हेतु किए गए ऑनलाईन आवेदन की मूल प्रति संलग्न की थी, वें जी.एस.टी. एवं फूड रजिस्ट्रेशन की मूल प्रति एक माह के अंदर विपणन कार्यालय में जमा करें। अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
5. सफल निविदाकारों में से डेयरी गेट पार्लर संचालन हेतु चयन प्रक्रिया का आधार अधिकतम किराया राशि ऑफर (H-1) के आधार पर किया जावेगा।
6. निविदाकर्ता को दो जमानतदार देना अनिवार्य होगा।
7. जमानतदार जमानत देने पर यदि पार्लर संचालनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ को देय कोई राशि वसूली हेतु बाकी रहती है तो उसकी वसूली हेतु दुग्ध संघ जमानतदार पर न्यायालयीन कार्यवाही करेगा।

8. निविदा स्वीकृति के उपरांत पार्लर संचालन की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालनकर्ता कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी। परन्तु अनुबंध की अवधि में बढ़ोत्तरी किसी भी पक्ष के लिये अधिकार नहीं होगा। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालनकर्ता कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर एक माह का नोटिस देकर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
9. डेयरी गेट मिल्क पार्लर का आवंटन होने के पश्चात् अनुबंधित अवधि में यदि पार्लर संचालनकर्ता उसे स्वेच्छा से छोड़ना चाहता है, या दुग्ध संघ द्वारा पार्लर आवंटन निरस्त किया जाता है तो प्रतिभूति मद में जमा रू. 10.00 लाख (अक्षरी राशि रू. दस लाख मात्र) का रिफण्ड लेने के पूर्व पार्लर संचालनकर्ता को दुग्ध संघ के दुग्ध, घी एवं दुग्ध उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट से क्रेट्स, बकाया राशि संबंधी नोड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर लेनदारी/देनदारी पूर्ण होने के बाद ही रिफण्ड किया जाएगा।
10. विद्युत/पानी एवं अन्य व्ययों का रखरखाव एवं भुगतान पार्लर संचालनकर्ता द्वारा किया जावेगा। साथ ही पार्लर स्थल का अनुचित उपयोग नहीं करेंगे, ना ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगे एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं हाईजीन रखना होगा। वर्ष में न्यूनतम एक बार पार्लर की रंगाई, पुताई एवं पेंटिंग सफल निविदाकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा।
11. दुग्ध संघ के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ सीमित होती है। इसलिए पार्लर पर दो दिवस का ही भंडारण करना होगा। उत्पादित दिनांक से दो दिन तक का ही दुग्ध पदार्थ उपभोक्ताओं को विक्रय निर्धारित दरों पर प्रदाय करना होगा। ताजा उत्पाद भंडारण रखना होगा।
12. पार्लर का रख-रखाव एवं कम से कम 300 लीटर क्षमता के पर्याप्त संख्या में डीप फ्रीजर उत्पादों के शीतलीकृत रखने/भण्डारण हेतु व्यवस्था पार्लर संचालक को स्वयं के व्यय से करनी होगी। दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय में वृद्धि होने पर क्षमता अनुसार पृथक से डीप फ्रीजर की व्यवस्था करनी होगी।
13. सफल निविदाकर्ता को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। अनुबंधित पार्लर संचालनकर्ता की मृत्यु होने की दशा में अधिकृत उत्तराधिकारी द्वारा अनुबंध की शेष अवधि में पार्लर संचालित किया जा सकेगा तथा उत्तराधिकारी पार्लर संबंधी समस्त लेनदारी-देनेदारी का निराकरण करेगा।
14. डेयरी गेट मिल्क पार्लर से केवल साँची ब्रांड के दूध एवं समस्त दुग्ध उत्पाद के ही विक्रय करेंगे। इसके अतिरिक्त पार्लर संचालनकर्ता द्वारा अन्य खाद्य/पेय पदार्थ विक्रय करते हुए पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा जो भी पार्लर संचालनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उसका वहन पार्लर संचालनकर्ता को करना है। पार्लर संचालनकर्ता द्वारा नियुक्त किए गए सेल्समेन द्वारा की गई कोई भी अनियमितता पार्लर संचालनकर्ता द्वारा की गई अनियमितता मानी जाएगी।

15. डेयरी गेट पार्लर संचालनकर्ता को दुग्ध संघ के अधिकृत दूध, घी एवं दुग्ध उत्पाद सुपर स्टॉकिस्ट के द्वारा साँची दूध एवं समस्त दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा। द्वितीय पक्ष, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की मांग सुपर स्टॉकिस्ट को देंगे तथा अग्रिम राशि सुपरस्टॉकिस्ट को भुगतान करेंगे।
16. दुग्ध संघ द्वारा डेयरी गेट पार्लर संचालनकर्ता को पार्लर आवंटन की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक आधार पर मासिक रूप से दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना डेयरी गेट पार्लर संचालनकर्ता को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उतरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही दुग्ध संघ द्वारा की जा सकेगी।
17. दुग्ध संघ के अधिकारी डेयरी गेट पार्लर का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे तथा दो दिवस का ही भंडारण करना होगा। उत्पादित दिनांक से दो दिवस तक का ही प्रदाय उपभोक्ताओं को करना होगा। सभी उत्पाद निर्धारित तापमान पर भंडारण करना होगा, किसी भी दशा में डेयरी फ़ैक्ट्री से सीधे प्रदायगी नहीं होगी। सभी उत्पाद सुपरस्टॉकिस्ट के माध्यम से लेना होगा। सुपरस्टॉकिस्ट को अग्रिम भुगतान करना होगा। ताजा उत्पाद भंडारण रखना होगा। प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक डेयरी गेट पार्लर खुला रखना होगा। उपभोक्ताओं से मधुर व्यवहार रखना होगा।
18. सफल निविदाकर्ता फ़ैक्ट्री गेट पार्लर से एक्सपायरी दुग्ध उत्पाद रखेंगे एवं उसका विक्रय नहीं करेंगे। निरीक्षण के दौरान ऐसा करते पाए जाने पर शासन के अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
19. पार्लर संचालक के कार्य की समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा प्रतिमाह की जायेगी तथा पार्लर संचालक द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
20. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित खुदरा मूल्य (एम.आर.पी) से अधिक दर पर ही संचालनकर्ता दूध एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय करेंगे यदि संघ द्वारा संचालनकर्ता को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर साँची दूध, दुग्ध पदार्थ, घी एवं आईसक्रीम आदि विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उस पर दुग्ध संघ द्वारा राशि रू. 5000/- का जुर्माना लगाया जायेगा, उसका वहन पार्लर संचालनकर्ता को करना होगा। उक्त कार्य की पुनर्वृत्ति पाये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

21. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
22. डेयरी गेट मिल्क पार्लर पर कार्यरत सेल्समेन को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड अनुसार ड्रेस पहनना एवं नेम बैज लगाना अनिवार्य है।
23. डेयरी गेट पार्लर संचालक को उपभोक्ताओं को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी। साँची उत्पादों की भाव सूची अनिवार्य रूप से लगाना होगी।
24. निविदा में वांछित जानकारी पूर्ण रूप से भरना है एवं निविदा के साथ वांछित समस्त दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर ऐसी निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
25. प्रबंधन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
26. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र इंदौर शहर का न्यायालय में रहेगा।
27. दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डेयरी गेट पार्लर आवंटन की सामान्य शर्तें भी अनुबंध का भाग मानी जावेगी।
28. पार्लर संचालनकर्ता को अपनी जिम्मेदारी पर ग्राहकों की पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में ग्राहकों के वाहनों से यातायात बाधित न हो अन्यथा इसके लिए पार्लर संचालनकर्ता जिम्मेदार होगा।
29. डेयरी गेट पार्लर हेतु दुग्ध संघ द्वारा न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रु.3,00,000/- (तीन लाख रुपये मात्र) निर्धारित की गई है। अतः निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि को ध्यान में रखते हुए किराया राशि प्रस्तुत की जाए। निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से कम वार्षिक किराया राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की दरें अमान्य होंगी। अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन डेयरी गेट पार्लर संचालन हेतु किया जाएगा।
30. टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
31. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ प्रपत्र क्र. (03) एवं (04) रु. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पत्र पर तथा प्रपत्र क्र. 05 दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. प्राप्त कर निविदा प्रपत्र के तकनीकी विवरण प्रपत्र क्र. 01 के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की सामान्य शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है, यदि भविष्य में मेरे प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा मेरा आवंटन निरस्त कर दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कार्यवाही की जाती है तो मुझे मान्य होगी। मुझे उपरोक्त समस्त नियम व शर्तें मान्य हैं। मेरे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशों का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

नाम—

पता—

.....

डेयरी गेट मिल्क पार्लर हेतु निविदा प्रपत्र

प्रपत्र 03

1. निविदाकर्ता का नाम—.....
2. पिता/पति का नाम—
3. शैक्षणिक योग्यता—
4. स्थाई पता—
-
5. ई-मेल अनिवार्य रूप से अंकित करें -
- (आधार कार्ड की छायाप्रति/दूरभाष/मोबाइल नं. सहित)
6. पत्र व्यवहार का पता—
- (दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ)
7. वर्तमान व्यवसाय/कार्य—
- व्यवसाय स्थान का पता -
- (दूरभाष नंबर सहित)
8. वित्तीय स्थिति—
- मिल्क पार्लर संचालन हेतु लगाई जाने वाली पूंजी की व्यवस्था— हाँ/नहीं
9. 1) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता—
-
- 2) जमानतदार का नाम एवं पूरा पता—

स्वहस्ताक्षरित फोटो
लगावें

डेयरी गेट मिल्क पार्लर आवंटन हेतु निविदा के संबंधित समस्त शर्तें एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ एवं समझ चुका हूँ/चुकी हूँ और मान्य करता हूँ/करती हूँ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

(रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रपत्र 04

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं पिता/पति श्री स्थायी पता
..... निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता /
कहती हूँ कि :-

1. " यह कि मुझे/हमे किसी भी दुग्ध संघ/शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा काली सूची मे डाला गया हो तो मैं/हम इस निविदा हेतु अपात्र रहेंगे। जानकारी प्राप्त होने पर किसी भी समय मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जा सकेगी।"
2. यह कि मेरा/हमारा वर्तमान मे किसी भी पुलिस थाने में अद्यतन स्थिति तक कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है एवं न ही किसी भी न्यायालय में मेरे/हमारे विरुद्ध कोई वाद/आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है/चल रहा है।

यह कि उपरोक्त मे से कोई भी जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मुझे/हमें आवंटित निविदा निरस्त कर मुझे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा। इस हेतु मैं/हम अपनी सहमति देते है।

गवाह-

- 1) नाम-
पता-.....
आधार कार्ड नं.....
मो.नं.
- 2) नाम-
पता-
आधार कार्ड नं.....
मो.नं.....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

- नाम-
पता-
.....
मो.नं. -

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/मेसर्स
वर्तमान में इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर के साथ
के रूप में कार्यरत है। आज दिनांक को इनका खाता नियमित है।

अतः मेसर्स द्वारा डेयरी गेट
पार्लर हेतु जारी की गयी ई-निविदा में भाग लिया जाता है, तो इन्दौर
सहकारी दुग्ध संघ को कोई आपत्ति नहीं है।

जारी दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर

वित्तीय बीड (केवल ऑन लाइन भरें)

(केवल अवलोकन हेतु)

प्रपत्र 06

इंदौर सहकारी दुग्ध संघ द्वारा जारी निविदा में डेयरी गेट पार्लर संचालित करने के लिए मैं/हम निम्नानुसार दर प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ।

1	2
प्रस्तुत दर का प्रकार	इंदौर सहकारी दुग्ध के डेयरी गेट पार्लर के संचालन कार्य हेतु संघ को देय वार्षिक किराया राशि रू. (कर अतिरिक्त)
अंकों में	रू. (केवल ऑन लाइन अंकित करें)
शब्दों में	रू..... (केवल ऑन लाइन अंकित करें)

नोट—

- ✓ डेयरी गेट पार्लर के संचालन हेतु दुग्ध संघ न्यूनतम वार्षिक किराया राशि रू. 300000.00 (अक्षरी राशि रू. तीन लाख मात्र) निर्धारित की गई है। अतः निविदाकर्ताओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि को ध्यान में रखते हुए किराया राशि प्रस्तुत की जाए। निर्धारित न्यूनतम वार्षिक किराया राशि से कम वार्षिक किराया राशि प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता की दरें अमान्य होंगी। अधिकतम किराया राशि ऑफर करने वाले निविदाकर्ता का चयन डेयरी गेट पार्लर संचालन कार्य हेतु किया जाएगा।
- ✓ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दरों पर कर अतिरिक्त प्रभावशील होगा। अतः निविदाकर्ता तदनुसार दरें प्रस्तुत करें।
- ✓ वार्षिक किराया राशि केवल ऑन लाइन माध्यम से ही भेजा जाए और भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।
- ✓ निविदाकार द्वारा अंकों में शब्दों में दोनो अनिवार्यतः दरें प्रस्तुत की जाये। यदि अंकों में एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत की गई दरें मान्य की जावेगी।

अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप

प्रपत्र क्र. 07

यह अनुबंध (निविदा सूचना क्र. दिनांक) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इंदौर (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमती/मेसेर्स.....आत्मज/पति/प्रोप्रेराईटर , आयु-..... निवासी-..... (म0प्र0) (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन आज दिनांकको निष्पादित किया जा रहा है :-

1. यह कि प्रथम पक्ष दुग्ध, दुग्ध पदार्थ, घी एवं आईसक्रीम विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष को निविदा पर डेयरी गेट पार्लर से साँची दुग्ध, दुग्ध पदार्थ, घी एवं आईसक्रीम के साथ अन्य उत्पाद उपभोक्ता दर पर विक्रय हेतु अधिकृत करता है।
2. यह अनुबंध, पूर्णरूप से व्यवसायिक अनुबंध है। इस अनुबंध के तहत प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को एक माह के पूर्व सूचना पर कार्य समाप्त करने हेतु नोटिस जारी करने हेतु पूर्णरूप से स्वतंत्र होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे एक माह पूर्व लिखित रूप से अग्रिम सूचना द्वितीय पक्ष को देना होगा। किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य सम्पादन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
 - 2.1 परंतु यदि द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर संचालन का कार्य बंद करने हेतु प्रथम पक्ष को एक माह पूर्व लिखित सूचना नहीं दी जाती है तो ऐसी दशा में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष की दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि जब्त करें एवं द्वितीय पक्ष को ब्लेक लिस्ट करें। जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा तथा प्रथम पक्ष पुर्ननिविदा समाप्त होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से अन्य पार्टियों से कार्य करने हेतु स्वतंत्र होगा।
3. पार्लर संचालन की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर एजेंट का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्त एवं पूर्व निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्षों हेतु आपसी सहमती से बढ़ाई जा सकेगी। प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर एजेंट(द्वितीय पक्ष) का कार्य उक्त अवधि में किसी भी समय संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनर्निविदा आमंत्रित करने हेतु प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।
4. द्वितीय पक्ष निविदा में स्वीकृत वार्षिक किराए की राशि का अग्रिम भुगतान करेंगे। निविदा की वैधता समाप्त होने पर अनुबंध के शर्त अनुसार निविदा अवधि में वृद्धि होने पर प्रतिवर्ष वार्षिक किराये की राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किराए की राशि प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष को अग्रिम जमा करनी होगी।

5. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो सुनवाई का अवसर देकर स्पष्टीकरण के संतोषजनक न होने पर अनुबंध समाप्त किया जाएगा।
6. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर आवंटन निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को 10 दिवस में पार्लर का कब्जा प्रथम पक्ष को देना होगा। ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि पार्लर पर कब्जा कर ले जिसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। प्रथम पक्ष किसी भी अन्य व्यक्ति/संस्था को यह पार्लर आगामी निविदा पूर्ण होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अनुबंध की समान शर्त एवं दरों पर आवंटित करने हेतु स्वतंत्र होगा।
7. प्रथम पक्ष के दुग्ध पदार्थों की शेल्फ-लाइफ सीमित अवधि की होती है अतः द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि वह दुग्ध पदार्थों की अग्रिम मांग शेल्फ-लाइफ को देखते हुए देवे एवं निर्धारित समयावधि में बिना विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित हुए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे।
8. यह कि अनुबंध के विषयों पर उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सक्षम न्यायालय, इन्दौर को होगा।
9. समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र इंदौर ही होगा।
10. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति/आवंटन के वक्त पार्लर हेतु रूपये रु. 10.00 लाख (अक्षरी रु. दस लाख मात्र) बतौर प्रतिभूति प्रथम पक्ष के पास जमा कराएगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. यह कि भविष्य में पार्लर से विक्रय मात्राओं में बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत प्रतिभूति राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
12. यह कि प्रतिभूति राशि से पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
13. यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो जमानतदार द्वितीय पक्ष को देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकरारनामे के परिशिष्ट के रूप में इसका अंग माने जावेंगे एवं वह द्वितीय पक्ष एवं उसके जमानतदारों पर बंधनकारक रहेंगे। द्वितीय पक्षकार के आवंटन निरस्ती पर यदि द्वितीय पक्षकार पर दुग्ध संघ की कोई बकाया राशि निकलती है तो जमानतदारों से भी उसकी वसूली की जा सकेगी।
14. यह कि भविष्य में प्रतिभूति राशि वापसी का आवेदन प्रथम पक्ष को नो ड्यूज सहित प्रस्तुत करने पर ही द्वितीय पक्ष को यह राशि वापस की जाएगी।
15. द्वितीय पक्ष को आवंटित पार्लर को दुग्ध संघ द्वारा प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक खुला रखकर संचालन करना अनिवार्य होगा।
16. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित, दुग्ध पदार्थों की विक्रय मूल्य तालिका पार्लर पर लगाना अनिवार्य होगा।

- 17.द्वितीय पक्ष अपने यहाँ किसी भी अन्य कंपनी का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और न ही प्रदर्शनीय स्थल पर पम्पलेट/साइनबोर्ड प्रदर्शित करेंगे, सॉची दूध व दूध पदार्थों का प्रदर्शन सामने करना अनिवार्य होगा। पार्लर पर इंदौर दुग्ध संघ के निर्देशानुसार निर्धारित ब्राण्डिंग ही की जाएगी। उल्लंघन किये जाने पर कार्य आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
- 18.उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुंच सेवा चाहता है जिस हेतु वह सेवा राशि देता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुंच सेवा के लिय बाध्य होगा। घर पहुंच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष पार्लर आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
- 19.यह कि मिल्क पार्लर पर प्रथम पक्ष, दुग्ध संघ का स्वामित्व है, द्वितीय पक्ष को यह पार्लर हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि द्वितीय पक्षकार ने सॉची पार्लर को दूसरे को हस्तांतरण/विक्रय/किराये पर दिया तो संबंधित पर अन्य कार्यवाही के साथ-साथ पुलिस एफआई. आर/वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही की जाएगी तथा बिना किसी नोटिस के द्वितीय पक्ष की निविदा निरस्त की जाएगी।
- 20.यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा केन्द्र/राज्य शासन से संबंधित समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन करना आवश्यक होगा। नाप-तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
- 21.यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर, आईसक्रीम डीप फ्रीजर आदि की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी तथा उसका तापमान निर्धारित डिग्री रखकर सॉची दूध व दूध पदार्थ का शीतलीकरण व गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य होगा।
- 22.यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्मित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के समानान्तर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो। अर्थात् तम्बाखू, मादक पदार्थ एवं अन्य कंपनी के दूध या दूध पदार्थ विक्रय हेतु प्रतिबंधित होंगे तथा विक्रय करने पर रूपये 5000/- अर्थदण्ड लगाया जाएगा एवं पुनरावृत्ति होने पर पार्लर आवंटन निरस्त किया जाएगा।
- 23.यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रथम पक्ष कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- 24.यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर देंगे न ही किसी को विक्रय करेंगे। इस पार्लर/बूथ का स्वामित्व सदैव दुग्ध संघ के पास रहेगा। विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे तथा वर्ष में एक बार पार्लर की पेंटिंग एवं पुताई कराना अनिवार्य होगा।
- 25.द्वितीय पक्ष को दूध एवं समस्त दुग्ध उत्पादों की मांग के विरुद्ध भुगतान सुपरस्टॉकिस्ट को करना होगा।

26. यह कि उपभोक्ताओं से लेन-देन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
27. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दरों (एम.आर.पी.) (अधिकतम खुदरा मूल्य) विक्रय से अधिक नहीं करेंगे। इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष के विरुद्ध शासन के अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
28. द्वितीय पक्ष अपने यहाँ साँची दूध एवं दूध उत्पाद के अलावा किसी अन्य कंपनी का दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद न ही रखेंगे और न ही विक्रय करेंगे। पार्लर के अंदर भी साँची दूध व दूध उत्पादों का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। प्रथम पक्षकार दुग्ध संघ यदि किसी सहकारिता या अन्य कंपनी के उत्पाद रखने हेतु निर्देशित करेगा तो संबंधित पार्लर/बूथ संचालक को वह रखने एवं विक्रय करना अनिवार्य होगा।
29. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा माल की प्रदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं तौल की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
30. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम/खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष देगा एवं इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। साँची पार्लर को खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराने, लाइसेंस प्राप्त करने व नियम के पालन हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेंगा।
31. यह कि पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो ब्राण्डिंग मटेरियल उपलब्ध कराये एवं केन, क्रेट्स, बॉटल, प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट-फूट या नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगा।
32. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगा।
33. यह कि शासन/प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित है एवं भविष्य में समय-समय पर बनाये जायेंगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा न करने पर जुर्माना, पार्लर निरस्ती की कार्यवाही की जाएगी।
34. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दूध एवं दुग्ध उत्पाद की दर एवं मार्जिन संबंधी जारी किए गए पत्र/परिपत्र/आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेंगे।

- 35.द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा दूध एवं समस्त दुग्ध उत्पाद वितरक दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे एवं द्वितीय पक्ष उसे केवल M.R.P. पर ही विक्रय करेगा।
- 36.यह कि इस अनुबंध की शर्तों व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
- 37.यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को पार्लर आवंटन की स्थिति में दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय के लक्ष्य वार्षिक आधार पर दिये जाएंगे। जिन्हें प्राप्त करना द्वितीय पक्ष को अनिवार्य होगा। समय-समय पर उतरोत्तर वृद्धि हेतु दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक होगी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर अन्य को आवंटन की कार्यवाही प्रथम पक्ष द्वारा की जाएगी, जिस हेतु द्वितीय पक्ष जवाबदेह होगा।
- 38.द्वितीय पक्ष के कार्य की समीक्षा प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिमाह की जायेगी तथा द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
- 39.द्वितीय पक्ष को उपभोक्ताओं को क्रय किए गये उत्पादों के बिल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु कम्प्यूटराईज्ड बिल व्यवस्था स्वयं के व्यय से करनी होगी।
- 40.प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश/आदेश/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे जिसका पालन करना द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।
- 41.डेयरी गेट पार्लर की निविदा प्रपत्र क्र. 02 में वर्णित आवंटन प्रक्रिया की नियम एवं शर्तें भी इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शर्त प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा।**
- 42.यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- 43.टंकण त्रुटि या किसी भी कारण से शर्तों में अस्पष्टता होने से उक्त शर्तों को स्पष्ट करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

यह कि मैं/हम यह कि मेरी/हमारी निविदा अवधि मे यदि मृत्यु होती है तो मैं/हम, श्री/श्रीमती/कुमारी..... को अपना उत्तराधिकारी विधिसम्मत घोषित करता/करती हूँ।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर समझ लिया हैं एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गई हैं।

गवाह—

हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर

नाम—

प्रथम पक्ष

पता—

आधार कार्ड नं.

द्वितीय पक्ष

मो.नं.....

2. नाम—

पता—

आधार कार्ड नं.—

मो.नं.

जमानतदारनामा

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री
आयु..... मे है कि, मैं विभाग / संस्था.....
.....पद..... स्थान.....में
कार्यरत हूँ एवं प्रथम पक्ष (इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इंदौर) एवं द्वितीय
पक्ष, श्री / श्रीमती / मेसर्स आयु निवासी
..... के बीच आज दिनांक
..... को डेयरी गेट पार्लर के संचालन हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया
है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके
लिये रुपये तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर
नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं
प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से
वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे डेयरी गेट के
संचालन हेतु निष्पादित अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक
..... को लिख दिया है।

गवाह—:

1. नाम—
पता—
आधार कार्ड नं
मो.नं.
2. नाम—
पता—
आधार कार्ड नं.
मो.नं.

जमानतदार

हस्ताक्षर

नाम—

पता—

.....

आधार कार्ड नं.

मो.नं.

जमानतदारनामा

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री
... आयु..... मे है कि, मैं विभाग / संस्था.....
.....पद..... स्थान.....में
कार्यरत हूँ एवं प्रथम पक्ष (इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित इंदौर) एवं द्वितीय
पक्ष, श्री / श्रीमती / मेसर्स आयु निवासी
..... के बीच आज दिनांक
..... को डेयरी गेट पार्लर के संचालन हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया
है। इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके
लिये रुपये तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर
नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं जमानतदार स्वयं
प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल संपत्ति से
वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे डेयरी गेट के
संचालन हेतु निष्पादित अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक
..... को लिख दिया है।

गवाह—:

1. नाम—
पता—
आधार कार्ड नं
मो.नं.
2. नाम—
पता—
आधार कार्ड नं.
मो.नं.

जमानतदार

हस्ताक्षर

नाम—
पता—
.....
आधार कार्ड नं.
मो.नं.